

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 134/2023(GCMS : 2023/298)

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर व स्थानीय शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल, शक्ति मार्ग राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुलोरा।

### बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह निवासी 1 एन, जगतेवाला, गुलाबेवाला, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर राज0 पिन-335027, द्वितीय पता-पट्टा नं 11, बुक नं. 24, चक 1 एन, जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25-एफ गुलाबेवाला, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर-मूल ऋणी।
2. रणजीत कौर पत्नी श्री अजमेर सिंह निवासी -1 एन, जगतेवाला, गुलाबेवाला, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर पिन-335027-सह ऋणी।
3. प्रभुदयाल पुत्र श्री हंसराज निवासी 1-एन, गुलाबेवाला, श्रीकरणपुर, राज0 पिन-335027-सह ऋणी।



22.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गोपाल सिंह, रणजीत कौर, प्रभुदयाल को ऋण सुविधा के रूप में राशि 3,66,000/-लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख छयासठ हजार मात्र)(दिनांक 15.03.2019 को 2.70/- लाख रूपये एवं दिनांक 08.03.2020 को 96,000/-रूपये) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 11, बुक नं. 24, (क्षेत्रफल 2600 सक्वायर फीट) चक 1-एन, जगतेवाला, ग्राम पंचायत, 25 एफ, गुलाबेवाला, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण गोपाल सिंह, रणजीत कौर व प्रभुदयाल को ऋण

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

सुविधा के रूप में राशि 3,66,000/-लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख छयासठ हजार मात्र)(दिनांक 15.03.2019 को 2.70/- लाख रूपये एवं दिनांक 08.03.2020 को 96,000/-रूपये) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 11, बुक नं. 24, (क्षेत्रफल 2600 सक्वायर फीट) चक 1-एन, जगतेवाला, ग्राम पंचायत, 25 एफ, गुलाबेवाला, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.06.23 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 06.06.2023 को जारी कर दिनांक 07.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।


वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी गोपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 11, बुक नं. 24, (क्षेत्रफल 2600 सक्वायर फीट) चक 1-एन, जगतेवाला, ग्राम पंचायत, 25 एफ, गुलाबेवाला, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.06.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.06.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण दिनांक 07.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 08.06.2023 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गोपाल सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक, आवास फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी गोपाल सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा सं. 11, बुक नं. 24, (क्षेत्रफल 2600 सक्वायर फीट) चक 1-एन, जगतेवाला, ग्राम पंचायत, 25 एफ, गुलाबेवाला, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

भी गंगानगर